



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 750।

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 21, 2010/बैशाख 1, 1932

No. 750।

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 21, 2010/VAISAKHA 1, 1932

## कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2010

**का.आ. 907(अ).**—नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पौध संग्रहेध (भारत में आयात विनियमन) आदेश, 2003 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को पौध संग्रहेध (भारत में आयात विनियमन) (प्रथम संशोधन) आदेश, 2010 कहा जाए।

(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. पौध संग्रहेध (भारत में आयात विनियमन) आदेश, 2003 में अनुसूची में शीर्ष “समुद्री पत्तन” के अंतर्गत क्रम संख्या “35” के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, यथा :—

“36. कराईकेल (पुदुचेरी)

37. पीपावाव (गुजरात)”

[फा. सं. 35-1/2009-पीपी. II]

पंकज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : पौध संग्रहेध (भारत में आयात विनियमन), आदेश, 2003 भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1322(अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2003 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात् उसमें सं. का.आ. 167(अ), दिनांक 6 फरवरी, 2004, का.आ. 427(अ) दिनांक 29 मार्च, 2004,

का.आ. 644(अ), दिनांक 31 मई, 2004, का.आ. 263(अ), दिनांक 25 फरवरी, 2005, सं. का.आ. 462(अ), दिनांक 31 मार्च, 2005, सं. का.आ. 1121(अ), दिनांक 14 जुलाई, 2006, सं. का.आ. 1353(अ), दिनांक 31 जुलाई, 2006, सं. का.आ. 1873(अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2006, सं. का.आ. 2074(अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2006, सं. का.आ. 2069(अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2007, सं. का.आ. 3(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2007, सं. का.आ. 2847, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008, सं. का.आ. 2888(अ), दिनांक 15 दिसम्बर, 2008, सं. का.आ. 2286(अ), दिनांक 9 सितम्बर, 2009, सं. का.आ. 2390(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2009, सं. का.आ. 3269(अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 और सं. का.आ. 3298(अ), दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 द्वारा संशोधित किया गया।

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2010

**S.O. 907(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government, hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely :—

1. (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (First Amendment), Order, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, in Schedule 1, under the heading "Seaports", after serial number 35, and the entry relating thereto the following serial numbers and entries shall be added, namely :—

"36. Karaikal (Puducherry)

37. Pipavav (Gujarat)"

[F. No. 35-I/2009-PP. II]

PANKAJ KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1322(E), dated

18th November, 2003, subsequently amended *vide* number S.O. 167(E), dated 6th February, 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May, 2004, S.O. 263(E), dated 25th February, 2005, S.O. 462(E), dated 31st March, 2005, S.O. 1121(E), dated 14th July, 2006, S.O. 1353(E), dated 31st July, 2006, S.O. 1873(E), dated 31st October, 2006, S.O. 2074(E), dated 6th December, 2006, S.O. 2069(E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 31st December, 2007, S.O. 2847, dated 8th December, 2008, S.O. 2888(E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286(E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390(E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269(E), dated 23rd December, 2009 and S.O. 3298(E), dated 24th December, 2009.